निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0,लखनऊ।

संख्या C-1403 /बा0वि0परि0/स्था0–1/2017–18, दिनांक 31 अगस्त,2017

समस्त,जिला कार्यक्रम अधिकारी,
प्रभारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आप द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों अथवा परियोजना कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रतिवर्ष नियमित रूप से अंकित नहीं की जा रही है। गोपनीय प्रविष्टियों के अभाव में इन कर्मियों को नियमानुसार अनुमन्य लाभ (ए0सी0पी0 व पदोन्नति) समय से प्रदान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। नियमानुसार अनुमन्य लाभ समय से प्रदान न किये जाने के कारण कार्मिकों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में अनावश्यक वाद योजित होने के कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही विभाग की छवि धूमिल होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर यह देख लें कि सम्बन्धित कर्मी विगत 10 वर्ष (वर्ष 2007 से वर्ष 2017 तक) किन–किन जनपदों में (तैनाती अवधि सहित) तैनात रहे हैं, तदोपरान्त इनकी तैनाती सूचना के साथ वर्ष 2007–08 से वर्ष 2016–17 तक 10 वर्षों की(पृथक–पृथक संवर्गवार) संकलित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त करके (संकलित) मूल प्रति अथवा प्रमाणित प्रति दो प्रतियां में दिनांक 04.09.2017 तक प्रत्येकदशा में निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।